**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2075**

**निर्माण कंपनियों की परियोजनाओं और बिलों को मंजूरी न दिया जाना**

**2075. श्रीमती जया बच्चन:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजनाओं और बिलों को मंजूर न किए जाने के कारण कई निर्माण कंपनियां वित्तीय बोझ से दबी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क)** जी, नहीं।

**(ख)** प्रश्‍न पैदा नहीं होता।

**(ग) और (घ)** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्‍ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा करने के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण और अन्‍य सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को कारगर बनाना, रियायतग्राहियों का सामंजस्‍यपूर्ण प्रतिस्‍थापन, रियायतग्राहियों द्वारा कोट किये गये प्रीमियम का पुन:निर्धारण, सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, विवाद समाधान तंत्र को सूचारू बनाना और अन्‍य मंत्रालय के साथ घनिष्‍ट समन्‍वय स्‍थापित करना शामिल है। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने भी रैखीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी को वन स्‍वीकृति से अलग कर लिया है। राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के कार्यों को नयी परियोजनाओं से भिन्‍न माना गया है और वन रहित क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की अनुमति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंकों को, सड़क क्षेत्र के ऋण को देय ऋण की 90 प्रतिशत सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखने की हिदायत दी है ताकि बैंक ऋण का बड़ा भाग सड़क क्षेत्र को दिया जा सके और उस पर होने वाली लागत को कम किया जा सके।

\*\*\*\*